"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 जून 2005—आषाढ़ 7, शक 1927

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-7/2005/1/एक.—इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-9/2004/1/एक, दिनांक 27 जुलाई, 2004 के संशोधन में एवं समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18-6-2005 के अनुक्रम में निम्नांकित संसदीय सचिवों को अब उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार मा. मंत्रियों के साथ संबंद्ध किया जाता है :—

स. क्र. (1)	संसदीय सचिव का नाम (2)	मा. मंत्री जिनके साथ संबंद्ध किया गया है (3)
1.	श्री सत्यानंद राठिया	मा. मुख्यमंत्री जी
2.	श्री रामसेवक पैकरा	श्री राम विचार नेताम, मंत्री, गृह, जेल, सहकारिता.
3.	श्री महेश बघेल	श्री ननकीराम कंवर, मंत्री, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, वन.

(1)	(2)	(3)
4.	श्री छतराम देवांगन	श्री गणेश राम भगत, मंत्री, आवास एवं पर्यावरण, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास.
5.	श्री त्रिविक्रम भोई	श्री मेघाराम साहू, मंत्री, स्कूल शिक्षा, खेल एवं युवक कल्याण.
6.	श्री पूनम चंद्राकर	डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.